

## फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019-20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आलोक व्यास 2. वर्तमान धारित पद डी.आर.ई.ओ., उज्जैन

3. वर्तमान वेतन रु. 117200/- अगली वेतनवृद्धि की तरीख जुलाई-2020

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्लॉक गृह तथा अन्य भवन	* *वर्तमान यूनियन भूमि	यदि रख्य के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर <sup>1</sup> धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या सम्बन्ध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, मैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तरीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्लॉक	सम्पत्ति से अभियुक्त
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	खण्डह प्रमाणी ए-23 / 15, वेदनगर, नानाखेड़ा, उज्जैन	लगभग रु. 60 लाख	रख्य के नाम पर है।	खरीदा है।	7
					8

\* जहाँ लागू न हो कठोर दीर्घि।

\*\* ऐसे मामले जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगाया मूल्य बताया जाए।  
\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे की समिलित है।

टिप्पणी : मकानप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा

के प्रत्येक सदर्श से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात्  
यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके रखायित की तथा उसके द्वाया अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके  
अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदर्श के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके हारा धारित  
समस्त अचल सम्पत्ति के ब्लॉक दे।

